न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **154 / 2020**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

श्री रामलाल पुत्र श्री माधु गूजर निवासी कांगसो का खेडा तह0 शाहपुरा

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति प्रेम पत्नी माना गूजर निवासी कागसों का खेडा तह0 शाहपुरा
2. 3 रामलाल भारू पुत्र नन्दा गुर्जर निवासी कागसों का खेडा तह0 शाहपुरा
4. कल्याण पुत्र गोपी गुर्जर निवासी कागसों का खेडा तह0 शाहपुरा
5. हरदायल पुत्र अमरचन्द गूर्जर निवासी कागसो का खेडा तह0 शाहपुरा
6. हीरा पुत्र श्रीकिशन गुर्जर निवासी कागसो का खेडा तह0 शाहपुरा
7. 8 रूपा नारू पुत्र गागा गूर्जर निवासी कागसो का खेडा तह0 शाहपुरा
9. प्रबंधक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा सुभाष नगर भीलवाडा

विपक्षीगण

उपस्थिति – **श्री योगेन्द्र सिंह भाटी**
अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक **04 / 01 / 2021**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 ... विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थी के ग्राम कागसों **का खेडा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा में स्थित **आराजी नम्बर 112 रकबा 0.47 है0**, 113 रकबा **0.55 है0** कुल **किता 2** रकबा **1.02 है0** हैक्टेयर का/की प्रार्थी **खातेदार काश्तकार** है ... भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही ... दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया ... बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी ... गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम कांगसों का खेडा संवत** 2074 से **2077** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थी **खातेदार** दर्ज ... आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ... जाकर मौजा **कांगसों का खेड़ा** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात किता 2 **रकबा 1.02 है0 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर ... विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं ... पत्थरगढी **ऑफ सीजन में** किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया ... पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस **250/–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **04 / 01 / 2021** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.